



1056/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 440229



विक्रय-पत्र


लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- 1. भूमि का प्रकार : कृषि
- 2. परगना : बिजनीरु
- 3. ग्राम : बरीना
- 4. सम्पत्ति का विवरण : भूमि खसरा संख्या-251
(सम्पत्ति नं०)

21/4/21

21/4/21





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 440230


6.5.2012


- 2 -

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 5. | भापन की इकाई | : हेक्टेअर |
| 6. | विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : 0.1338 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति | : सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद प्रथ से लगभग 200 मीटर से अधिक |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार | : कृषि |
| 9. | पेड़ों का मूल्यांकन | : कुछ नहीं |
| 10. | बोर्डिंग/कुआ/अन्य | : कुछ भी नहीं |
| 11. | प्रतिफल की धनराशि | : रु0 12,55,847/- |
| 12. | मालियत | : रु0 4,68,300/- |
| 13. | स्टाम्प | : रु0 87,950/- |

रजि. 112/101


21/5/12





उत्तर प्रदेश-UTTAR PRADESH

C. 440231



- 3 -

चीहदही

खसरा नं०-251

पूरब : नहर
 पश्चिम : चकरोड
 उत्तर : चकरोड
 दक्षिण : खसरा संख्या-252


प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

सिक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
राम लखन पुत्र छेदा निवासी- ग्राम बरौना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय - कृषि	राकेश कुमार पुत्र श्री गया प्रसाद, निवासी-पूरे निदि हुबे, रायबरेली, उ०प्र०। व्यवसाय-कृषि


रमि लखन

21/5/98



उत्तर प्रदेश UTIAR PRADESH

AL 352481



- 4 -

विक्रय विलेख


यह विक्रय विलेख राम लखन पुत्र छेदा निवासी- श्राम
मतीना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे
आगे विक्रोता कहा गया है,

श्री लखन

एवम

21/4/11





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 352480




- 5 -

राकेश कुमार पुत्र श्री गया प्रसाद, निवासी-पूरे निदि दुबे, रायबरेली, उ०प्र०, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या-251 रकबा 0.6690 हेक्टेअर, में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा यानि रकबा 0.1338 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम-बदौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है जो विक्रेता को बरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित वार्षिक स्वतंत्री

21/3/13

21/3/13



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


AC 889891 ✓


- 6 -

फसली वर्ष 1419 से 1424 के खाता खतौनी क्रम संख्या-00272 के अनुसार विक्रेता के नाम अमल दरांमद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भारगीदार है, अब संज्ञकत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी

21/12/2019


21/12/19





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 889890




-7-

चीज व हक के खूब सोप व समझकर बिना किसी दबाव के,
बएवज मुबलिंग रु0 12,55,847/- (रुपया बात्सह लाख पचपन
हजार आठ सौ सैतलिस मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय करई
किया और कुल विक्रय धनराशि फल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता
उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा
व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज से बखूबी करा
दिया। अब विक्रेता व चारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा
निश्चत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं

21/3/18

21/3/18



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 353591




- 8 -

रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होये, और अगर आराजी बयानवा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रैता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जाये या कब्जा न मिले या कही विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रैता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल


राम लाल

21/2/08



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 553541



-9-


से जदिये न्यायालय प्राप्त कर लें, इसमें विक्रेता व यारिसन विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लें।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, द्युबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

राम लाल


21/7/21



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 553542

- 10 -





आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम बरोना, परगना- बिजनीर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारु कीमत 35,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत रकबा 0.1338 हेक्टेअर की भालियत रु0 4,68,300/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है। अतः

रामे लखनौ


21/3/31





उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

BM 553543



- 11 -

निधमानुसार विक्रय मूल्य पर ही जनरल स्टाम्प शुल्क 87,950/-
के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 200
मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।
उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी
संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।


2/10/13

राम लाल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 553544



- 12 -

यह किं रूपर प्रयोग किये गये शब्दों "विक्रेता" एवं "क्रेता" में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हों, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित हैं।

विवरण भुगतान

1. विक्रेता को रु0 12,55,847/- (रुपया बारह लाख पचपन हजार आठ सौ सैतालिस मात्र) द्वारा चेक संख्या-595883 दिनांकित 19.03.2013 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

21/03/13

राम लखनऊ

जुलाई 2013
 2013/2013
 10

विक्रय पत्र
 1,355,847.00 / 469,000.00 10,000.00 20 10,020.00 1,100
 प्रतिफल मासिकता फंड, निधि नकर, व प्रति शुल्क भी अन्य लागत
 श्री राम लखन
 पुत्र श्री देव

अवसल कृति
 निवासी श्री राम बरीना पर, बिकनी, लखनऊ
 निवासी श्री देव
 ने इस लेखन इस अवसर में दिनांक 19/03/2013 राय 1:29PM
 को निम्नलिखित रूप में किया

राम लखन



निदेशिका अधिकारी के हस्ताक्षर
 श्री सी सिंह
 उपा निदेशक (प्रथम)
 लखनऊ
 15/03/2013

निष्ठापूर्वक लेखन बाद, प्रती व नमस्ते प्रमाण, या प्रजा धनसाक्षि रू, प्रवेशानुसार स्वतः
 दिनेश

श्री राम लखन
 पुत्र श्री देव
 पेशा कृषि
 निवासी राम बरीना पर, बिकनी, लखनऊ

राम लखन

श्री राकेश कुमार
 पुत्र श्री गणेश प्रसाद
 पेशा कृषि
 निवासी परे निधि श्री रामबरीना

राम लखन

ने निम्नलिखित स्वीकार किया :
 जिनकी अर्थान श्री देव पाठक
 पुत्र श्री हरि शंकर पाठक
 पेशा व्यापार

निवासी लखनऊ, लखनऊ
 श्री : श्रीक कुमार
 पुत्र श्री : बंधु लाल

श्रीक कुमार


पेशा व्यापार
 निवासी श्रीक बरीना पर, बिकनी, लखनऊ

ने जो पताथा: पर गश्तियों के निषाध शंके निम्नलिखित किंते जो है



निदेशिका अधिकारी के हस्ताक्षर
 श्री सी सिंह
 उपा निदेशक (प्रथम)
 लखनऊ
 15/03/2013

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 261008

- 13 -

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रु० 12,55,847/- (रुपया बारह लाख पचपन हजार आठ सौ सैतालिस मात्र) क्रैता से प्राप्त हुए।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोंच व समझकट बिना किसी दबाव के, क्रैता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत पर काम आये।

2/11/2011
रजामन्दी

2/11/2011

T-1823
2013/13
[Signature]

पिकाता

Registration No. 4856

Year: 2013


Desk No.: 1

0101 राम लक्ष्मण

जिन्दा

गावः श्रीवा नर. गिन्गावा, ज. अ. क. क.

फुमि



अतः आज समय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर
आपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे सिद्धादित किया।

दिनांक :- 19.03.2013

लखनऊ

गवाहिन:-

1. 
(पंकज पाठक)
पुत्र हरी शंकर पाठक
नि० लालबाग लखनऊ



राज लालवाणी

विक्रेता

श्रीपंकज कुमार पाठक

श्री लालबाग लखनऊ

श्री धर सिंह ठाकुर

लखनऊ

दाईपकर्ता :


(राम सेनेही)

क्रमा

2/4/31



मसविदाकर्ता :



(विजय विक्रम सिंह)


एडवोकेट

गोमती

सौराष्ट्र

विक्रम

साल



विक्रम

सौराष्ट्र

२१७७ ४१२०१

२१७७१

आज दिनांक 19/03/2013 को

वही सं. 1 विले सं. 15433

पृष्ठ सं. 211 से 240 पर क्रमांक 4856

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी. सी. सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

19/03/2013

